प्रेस नोट
यातायात माह नवम्बर–2024
दिनांक 09.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु अम्बेडकर चौराहे पर नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस बूथ का किया गया उद्घाटन–

यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत गुरूनानक चौक से एनसीसी कैडेटस व स्कूल के छात्र/छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखा कर किया गया रवाना–गोण्डा। आज दिनांक 09.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा नवनिर्मित अम्बेडकर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर महोदय द्वारा बताया गया कि कड़ी धूप के बीच चौराहे पर खड़े रहकर यातायात पुलिस कर्मी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कड़ी मेहनत करते है। कड़ी धूप और गर्मी के बीच भी पुलिसकर्मियों को चौराहें पर खड़े रहकर 24 घण्टे ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना होता है। ऐसे में वाहनों के आवागमन को निरंतर बनाए रखने के लिए यह बूथ काफी मददगार साबित होगा। तत्पश्चात महोदय द्वारा यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत गुरूनानक चौक से एनसीसी कैडेटस, फकरूद्दीन इण्टर कालेज, एल0बी0एस0 इण्टर कालेज व टॉमसन इण्टर कालेज के छात्र/छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। जागरूकता रैली द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात नियमों के प्रति लोगो को जागरूक किया गया। महोदय द्वारा रैली के दौरान आम जनमानस व वाहन चालको को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
09. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे/मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टण्ट न करे।
14. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा, एल0बी0एस0 कालेज के प्रोफेसर डा0 राजबहादुर सिंह बघेल, प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री मनोज कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री जगदम्बा गुप्ता, होमगॉर्ड व पी0आर0डी0 के जवान आदि मौजूद रहे।

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत सभी थानों की महिला बीट कर्मियों की मीटिंग कर महिला अपराध सम्बन्धी अभिसूचनाओं का संकलन एवं कार्यवाही, पीड़िताओ की कॉउंसलिंग व जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार आदि की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 09.11.2024 को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक व सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हे सशक्त बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में महिला बीट पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की गयी। जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओंध्बालिकाओं को जागरूक करने व उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में महिला बीट पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि समस्त थानों की महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगाकर प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक महिलाओंध्बालिकाओं को जागरूक किया जाएगा साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा तथा चौपाल लगाकर शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। महोदय द्वारा घरेलू हिंसा एवं अन्य महिला सम्बन्धी अपराधों से पीड़ित महिलाओंध्बालिकाओं की काउंसलिंग के समय महिला पुलिस कर्मियों की क्या भूमिका रहेंगी, शिकायतकर्ता को किस प्रकार सुना जायेगा, शिकायत पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी, नए कानून को किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बीट क्षेत्र में शराब व अन्य मादक पदार्थो के बिक्री के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की जायेगी तथा घरेलू यौन अपराध, होटल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, काल सेण्टर, पार्क, कोचिंग सेण्टर, हास्पिटल, मॉल, रेस्टोरेन्ट के विषय में जानकारी व सुरागरसी हासिल की जायेगी तथा बीट क्षेत्र में महिला अपराध से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अवैध क्रिया–कलापों, अपराध एवं अपराधियों के विषय में जानकारी हासिल की जायेगी। अगर बीट क्षेत्र में यदि बाहर से कोई महिला/बच्चा आकर निवास कर रही/रहा हो अथवा क्षेत्र की कोई महिला/बच्चा गायब हो, उसके बारे में नाम एवं विवरण सहित जानकारी हासिल की जायेगी।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा सहित अन्य अधि0/महिला कर्मचारीगण मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना को0 देहात में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

गोण्डा आज दिनांक 09.11.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा को0 देहात में जनसुनवाई की गयी। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना को0 देहात में सुनवायी के दौरान 05 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें से 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तथा शेष प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों में प्राप्त कुल प्रार्थना पत्रों में से 03 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया तथा शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 09.11.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने तथा दुराचार कराने के लिए दबाव डालने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही:–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–846/24, धारा 65(1),351(2) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. शंकर पुत्र राम सजन, 02. आरती उर्फ आसमा पत्नी शंकर निवासीगण मल्लापुर टपरा तलयानी पाठक कोरियन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को रेलवे कालोनी निकट रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.11.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को आरती नाम की महिला द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर शंकर नाम के व्यक्ति से दुराचार करवाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विपुल कुमार द्वारा की गयी। आज दिनांक 09.11.2024 को प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त व अभियुक्ता– 01. शंकर पुत्र राम सजन, 02. आरती उर्फ आसमा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. शंकर पुत्र राम सजन नि0 मल्लापुर टपरा तलयानी पाठक कोरियन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. आरती उर्फ आसमा पत्नी शंकर निवासी मल्लापुर टपरा तलयानी पाठक कोरियन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–846/24, धारा 65(1),351(2) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
02. म0उ0नि0 सुश्री अर्पिता यादव।
03. म0का0 रिया सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.11.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–260/24, धारा 82(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. सलमान (पति) पुत्र सोहराब अली, 02. सोहराब अली (ससुर) पुत्र रहमत अली उर्फ सोमई, 03. रहीसुनिशा (सास) पत्नी सोहराब अली निवासीगण ग्राम घारीघाट करहिया चौबेडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को ग्राम घारीघाट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 09.11.2024 को वादी असलम पुत्र रमजान अली नि0 ग्राम खम्हरिया सुजात डुहरिया थाना हरैया जनपद बस्ती द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन की शादी दिनांक 22.04.2024 को घारीघाट के रहने वाले सलमान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 08.11.2024 की रात्रि दहेज की मांग के चलते हुए प्रताड़ित करते हुए मेरी बहन को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में नामजद 03 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 03 अभियुक्तों–01. सलमान (पति) पुत्र सोहराब अली, 02. सोहराब अली (ससुर) पुत्र रहमत अली उर्फ सोमई, 03. रहीसुनिशा (सास) पत्नी सोहराब अली को ग्राम घारीघाट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सलमान (पति) पुत्र सोहराब अली नि0 ग्राम घारीघाट करहिया चौबेडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. सोहराब अली (ससुर) पुत्र रहमत अली उर्फ सोमई नि0 ग्राम घारीघाट करहिया चौबेडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. रहीसुनिशा (सास) पत्नी सोहराब अली नि0 ग्राम घारीघाट करहिया चौबेडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–260/24, धारा 82(2),85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अवनीश यादव।
02. हे0का0 सुग्रीव यादव।
03. म0आ0 गीतांजली।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर के बड़गांव क्षेत्रांतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पैदल कर आमजनमानस को सुरक्षा का कराया गया एहसास, सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधि0/कर्मचारीगणों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 09.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत नूरामल मंदिर पहुंचकर चल रहे बालाजी महोत्सव में आयोजित रामकथा/प्रस्तावित शोभायात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा मेंहदीपुर बालाजी समिति के सदस्यों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुरूष/महिला पुलिस के जवानों की सतर्कता को परखा गया एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए साथ ही बताया गया कि श्रद्धालुओं के पूजन–अर्चन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, सदैव सतर्क रहते हुए ड्यूटी का निस्पादन करे जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना न घटित होने पाये। महोदय द्वारा आसपास के मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में पैदल गस्त कर आमजनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा ड्रोन कैमरे से निगरानी करवायी गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि शोभायात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए वीडियोंग्राफी की जायेगी। शोभा यात्रा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों पर खास नजर बनाकर रखी जा रही है अगर किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा शोभायात्रा में माहौल खराब करने का प्रयास किया जायेगा तो उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृ ष्टि रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महोदय द्वारा प्र0नि0 को0 नगर को सुरक्षा प्रबन्धो को और अधिक सुदृढ करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए।

इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा, प्र0नि0 को0 नगर सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।